

# कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मथुरा

पत्रांक सं०/बै०शि०/ ६८३४-५० / २०१४-१५ दिनांक : ११२१५

प्रबन्धक,

रोमैक्स इण्टरनेशनल स्कूल,  
निकट राधा वैली, एन०एच०-२, मथुरा

विषय : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके दिनांक २८-०८-२०१४ के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से मैं रोमैक्स इण्टरनेशनल स्कूल, निकट राधा वैली, एन०एच०-२, मथुरा को दिनांक ०१-७-२०१४ से दिनांक ३०-६-२०१७ तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा प्री-प्राइमरी से कक्षा ८ तक (अग्रेजी माध्यम) के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन है :-

१. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा ८ के पश्चात् मान्यता/सम्बन्धन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
२. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपांचंद्र १) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपांचंद्र २) के उपबंधों का पालन करेगा।
३. विद्यालय कक्षा १ में (या यथार्थतः, नर्सरी कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के २५ प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमज़ोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
४. पैरा ३ में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा १२ की उपधारा (२) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूरितियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक् बैंक खाता रखेगा।
५. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यर्थीन नहीं करेगा।
६. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सदृश न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा १५ के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :
  - (i) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा;
  - (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जाएगा,
  - (iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी ;
  - (iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम २५ के अधीन अधिकृति किए गए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा ,
  - (v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना ,
  - (vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा २३(१) के अधीन यथा अधिकृति न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परंतु यह और कि विद्यालय अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे ,
  - (vii) अध्यापक अधिनियम की धारा २४(१) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है; और
  - (viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7. विद्यालय समुचित पाठ्यकारी द्वारा प्रधिकरण पाठ्यवस्था के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविभिन्न विद्यालय के मानकों और मनियमों की बनाए रखेगा। अतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसूतियाएं निम्नानुसार हैं -
- विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल - 6820 वर्ग मीटर
- कुल निर्मित क्षेत्र - 1142.66 वर्ग मीटर
- क्रीड़ा-स्थल का क्षेत्रफल - -
- कक्षाओं की संख्या - 10
- प्राध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भंडागार के लिए कक्ष - है
- बालक और बालिकाओं के लिए पृथक् शैक्षालय - है
- पेयजल सुविधा - है
- मिड-डे-मील पकाने के लिए रसोई - है
- बाधारहित पहुंच - है
- अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता - है
9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यताप्राप्त कक्षाएं नहीं बनावूँ जाएंगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लौक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यापि, व्याप्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के ज्ञाम के लिए नहीं बनाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड अकाउटेंट द्वारा सपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आविटिट मान्यता कोड संख्यांक 14/2 है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बैसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
17. संलग्न उपाबध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

  
 जिला बैसिक शिक्षा अधिकारी  
 मथुरा

पृष्ठा 0/पृष्ठा 0/  
प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बैसिक) आगरा
2. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी, जनपद-मथुरा

जिला बैसिक शिक्षा अधिकारी  
 मथुरा